International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 05-06-2020; Accepted: 20-06-2020; Published: 06-07-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 13-14

नारी मुक्ति में भगवान बुद्ध का योगदानः भिक्षुणी संघ की स्थापना के सन्दर्भ में

अनीता
बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

प्रस्तावना

मज्झिमनिकाय के कित्तिसुत्त में भिक्षुगण भगवान् बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान् अनुकम्पा करने वाले हैं और अनुकम्पा के कारण ही धर्म का उपदेश करते हैं।[1] भगवान बुद्ध अनुकम्पा के महासागर थे। उनकी अनुकम्पा से जनमानस की आधी संख्या 'महिलाएं' कैसे वंचित रहतीं। तथागत ने इसिपत्तन मृगदायवन में साठ अर्हत भिक्षुओं को सम्बोधित कर सिंहनाद (धर्मोपदेश) किया था कि ''भिक्षुओं 'बहुजनों के हित के लिए, 'बहुजनों के सुख के लिए', लोगों पर अनुकम्पा करने के लिए, देव एवं मनुष्यों के हित तथा सुख के लिए विचरण करो। एक मार्ग से, दो मत जावो, यह जो धर्म आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अन्त में कल्याणकारक है उसका उपदेश करो।[2] भगवान् ने सभी के दुःखनाश की, सभी के सुख की कामना की।[3] सभी प्राणियों के दुःख विनाश का उपदेश किया।[4]

उपरोक्त विवरण में भगवान् बुद्ध ने बहुजनों, समस्त प्राणियों, इत्यादि शब्दों का सम्बोधन किया है। जबकि पूर्ववत् वैदिक, उत्तर वैदिक, पुराण और स्मृति–ग्रन्थों ने मात्र पुरुष–कल्याण की ही बात की है, जबकि भगवान बुद्ध ने महिला–पुरुष ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के उद्धार, उनके दुःख विनाश के लिए धर्म की स्थापना की बात की है। यही थी बुद्ध की धर्मिक क्रान्ति जो सामाजिक क्रान्ति के रूप में फलित हुई। एक नयी संस्कृति का उद्भव हुआ। इस संस्कृति ने ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो नारी–जाति के उत्थान का कारण बनी और बुद्ध द्वारा भिक्षुणि–संघ की स्थापना के बाद स्त्री–मुक्ति के स्वर मुखरित हुए जिसे पालि साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों ने लिपिबद्ध किया।

पूर्व–बुद्धकाल में तत्कालीन भारतीय समाज में नारी–जाति को इतना प्रताड़ित व अपमानित किया था कि समाज में उसकी स्थिति निम्निकृत बन चुकी थी। ऐसे समय में तथागत गौतम बुद्ध, जो महाकारुणिक हैं, सभी प्राणियों, कीटμपतंगों, वनμवृक्ष वनस्पतियों तक के कल्याण की बात सोचते हैंμउन्होंने नारी–जाति के उत्थान स्वरूप धम्म का दरवाजा महिलाओं के लिए खोल दिया। शाक्य–कुल की 500 महिलाओं सहित बुद्ध की मौसी व दायी प्रजापति गौतमी के अनुनयμविनय पर भगवान ने सर्वप्रथम पूर्ववत् समाज और लैंगिक व्यवहारिकता पर विचार किया तदोपरान्त नारी–जाति के उत्थान का निर्णय लिया।[6] पहले तो बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को परामर्श दिया कि वे श्वेतवस्त्र–धारिणी उपासिका बन जाएं और शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करें। इस परामर्श से गौतमी संतुष्ट नहीं हुई और अपने साथ आई महिलाओं को परामर्श दिया कि वे अपने सिर के बाल मुण्डवा ले और मिट्टी के भिक्षा पात्र ले बुद्ध के पास चलें। सभी ने वैसा ही किया। उनकी निष्ठा ने महास्थिविर आनन्द को प्रभावित किया और आनन्द ने अपनी ओर से उनकी वकालत की[7]μ''भन्ते! महाप्रजापति गौतमी के फूले पैरों, धूल भरे शरीर से दुःखी दुर्मना, अश्रु–मुखी रोती हुई द्वार कोष्ठक के बाहर खड़ी हैं और कह रही हैंμ''भगवान् धम्म में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुज्ञा नहीं देते। भन्ते! अच्छा हो स्त्रियों को धम्म में प्रव्रज्या मिले।''[8] वैशाली के महावन की कूटागारशाला विहार में आनन्द के द्वारा प्रजापति गौतमी के पक्ष में अनुनय–विनय करने पर बुद्ध ने कहाμ''तथागत–प्रवेदित धर्म में घर से बेघर प्रव्रजित हो, स्त्रीयां श्रोतापत्तिफल, सकृदागामीफल, अनागामीफल, अर्हत्वफल को साक्षात् कर सकती हैं,[9] परन्तु कुछ व्यवहारिक कारणों से उन्हें 'आठ प्रतिबन्धक गुरु–धर्मों' को स्वीकार करना होगा।''[10] पालि साहित्य में वे आठों प्रतिबन्धक गुरु धर्म निम्नवत वर्णित हैंμ

1. अधिक दिनों की उपसम्पन्न बड़ी भिक्षुणी को भी कम दिनों के उपसम्पन्न छोटे भिक्षु को नमन करना चाहिए।
2. धर्म उपदेश सुनने के लिए भिक्षुणी को ही आगमन करना चाहिए।
3. प्रत्येक 15 दिन के अन्तर पर भिक्षुणी को भिक्षु–संघ का पर्येषणा (वन्दना) करना चाहिए।
4. वर्षावास समाप्ति पर दो संघो से पवारणा (प्रायश्चित) करना चाहिए।
5. किसी विवाद के होने पर दानो संघो (भिक्षु व भिक्षुणी) से मान्यता प्राप्त करना चाहिए।
6. भिक्षुणी को किसी स्थिति में भिक्षु को अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. भिक्षुणी को भिक्षु को उपदेश इत्यादि नहीं देना चाहिए।
8. भिक्षुओं द्वारा ही भिक्षुणियों को आदेश या उपदेश देना चाहिए।

आनन्द द्वारा भगवान बुद्ध की इन शर्तों के बताने पर महाप्रजापति गौतमी ने कहाμ''भन्ते! जैसे शौकीन सिर से नहाये, अल्प–वयस्क तरुण स्त्री या पुरुष उत्पल की माला, वार्षिक जूही की माला, या अतिमुक्तक मोतियों की माला को पा, दोनों हाथों में ले, उसे उत्तम–अंग सिर पर रखती है, सजाती है, ऐसे ही भन्ते! मैं इन आठ गुरु–धर्मों को स्वीकार करती हूँ।''[11] बुद्ध के इस कथन द्वारा–''भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ, भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों को उपसम्पदा की।''[12] भगवान् के इस कथन के द्वारा सम्पूर्ण मानवता के अर्ध वर्ग नारी–जाति का उत्थान हो गया। उन्हें इतिहास में स्वयं को दर्ज करवाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इस भारत–भूमि पर नारी–जाति के उत्कर्ष का बीजारोपण हुआμ''भिक्खुनी संघ की स्थापना'' के द्वारा।

परिणाम ऐतिहासिक हुआ। भारत–भूमि पर महिला को पुरुष के बराबर धर्मिक, सामाजिक और नैतिक रूप से अधिकार प्राप्त हुए और बुद्ध का धम्म जहां–जहां गया, महिला–पुरुष की समानता वहां–वहां प्रतिष्ठित हुई। संसार ने तथागत की नैतिकता में नारी–जाति के हकμअधिकार की पहचान की और लगभग 2600 वर्ष पहले बुद्ध की इस महान धर्मिक क्रान्ति ने मानवता के मातृत्व की रक्षा के लिए आधरशिला रखी। 'भिक्षुणी–संघ की स्थापना' हुई तो नारी–जाति के आध्यात्मिक उड़ान, नारी–जाति के

महानता की सिद्धि और पालि साहित्य के सृजन में भिक्खुनी–संघ की अनिवार्यता इत्यादि की पुष्टि का मार्ग प्रशस्त हुआ।

तथागत भगवान् गौतम बुद्ध जो महाकारुणिक हैंμउनकी करुणा में नैतिकता सन्निहित है। उनकी नैतिकता का आधार बुद्धत्व–प्राप्ति के उपरान्त पंचवर्गीय भिक्खुओं को दिए गये प्रथम उपदेश धर्मचग्रफप्रवर्तन–सूत्र (धम्मचक्कपवत्तन–सुत्त) में निहित है। उसमें शील प्रमुख है जो लैंगिक आचार के लिए नीति निर्धरित करता है। लैंगिक आचार का भवार्थ स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों के मध्य सीमाओं का निगमन करना है। धम्मचक्कपवत्तन–सुत्त में भगवान ने कहा हैμ''हे भिक्षुओं! इन दो अन्तों (अतियों) का प्रव्रजितों को सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से दो? प्रथम जो यह हीन, ग्राम्य, पृथुज्जनों के योग्य, अनार्य लोगों द्वारा अनर्थों से युक्त कामवासनाओं में लिप्त होना है और दूसरा जो दुःखमय, अनार्य–अनर्थों से युक्त आत्मपीड़ा में लगना है।''[13] इन दो अतियों में न जाकर मध्यम मार्ग जो आष्टांगिक मार्ग है, को ग्रहण करो। बुद्ध ने कामवासना जिसका सरोकार लैंगिक क्रियाओं से है उसमें लिप्त न होकर, मध्यम मार्ग के अनुसरण के लिए, अनैतिकता के प्राचीन जनमानस में 'विनय' अर्थात् नैतिकता की स्थापना की। इसलिए व्यवहारिक कारणों को परिभाषित करते हुए बुद्ध ने कहाμ''आनन्द! यदि तथागत–प्रवेदित धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या न पातीं, तो यह धर्म चिरμस्थाई होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन आनन्द चूंकि स्त्रियां प्रव्रजित हुईं हैं अब सद्धर्म पांच सौ वर्ष ही ठहरेगा।''[14] परन्तु भगवान ने अपनी आशंका के समाधान स्वरूप आठ प्रतिबन्धक गुरु धर्मो का प्रबन्ध किया। इतना ही नहीं विनय–पिटक में[15] भिक्षुओं के लिए 227 शील परन्तु भिक्षुणियों के लिए 311 शीलों का प्रावधन किया और जिस धम्म के मात्रा 500 वर्ष तक ठहरने की आशंका स्वयं बुद्ध ने की थी। वही सद्धर्म आज संसार में बुद्ध के महापरिनिर्वाणोपरान्त 2550 वर्षों से अधिक समय तक, भिक्षुणी–संघ को भी साथ–साथ लिए हुए मानवता के रक्षार्थ संघर्ष कर रहा है। ऐसी थी बुद्ध की करुणा, उनकी अनुकम्पा और नैतिकता अर्थात् विनय जिसके छाँव तले नारी–जाति का सम्मान, उसकी समाज में अनिवार्य भागेदारी आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है । वस्तुतः भारतीय समाज नारी–उत्थान के लिए बुद्ध और उनके धर्म का ऋणी रहेगा। वह ऋण चुकता तब तक नहीं होगा, जब तक महिला और पुरुष दोनों को भारतीय समाज समान दर्जा देने की सम्पूर्णता नहीं सिद्ध करता।

भगवान् बुद्ध विश्व के प्रथम महामानव थे जिन्होंने मानव–धरा पर दलित, पीड़ित, उपेक्षित नारी–जाति के प्रति सम्मान व समानता की भावना प्रकट करते हुए, धम्म के समक्ष उन्हें बराबर समझा और भिक्षुणी–संघ की स्थापना की। भिक्षुणी–संघ में ऐसी 73 भिक्षुणियाँ थीं, जिन्हें अर्हत–पद प्राप्त था। उन्हीं 73 अर्हत थेरियों के व्यक्तित्व एंव कृतित्व का वर्णन 'थेरीगाथा' नामक ग्रन्थ में किया गया।

'थेरीगाथा' बुद्धकाल की महिलाओं की स्वतंत्राता, गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति, उनकी आध्यात्मिक उड़ान और बुद्ध–पूर्वकाल में उसकी घृणित दशा का एक जीवित दस्तावेज है। थेरीगाथा में स्त्री–पुरुष के लैंगिक आकर्षण को बुद्ध ने प्रज्ञा–लाभ देकर क्षीण किया है। धम्मपद की गाथा संख्या 284 यही व्याख्या प्रस्तुत करती है कि[16]– ''पुरुष यदि स्त्री में अंश मात्र भी यदि आसक्त रहता है तो उसकी दशा ठीक वैसी ही रहेगी जैसे दूध पीने वाले बछड़े की अपनी माँ गाय से।'' 'थेरीगाथा' ने पुरुष व नारी दोनों को मुक्ति का मार्ग दिखलाया और प्रस्तुत कियाμ बुद्ध के समकालीन भिक्षुणियों के अनुभव और संग्रह किया–स्त्री–मुक्ति के स्वरों को। भगवान् बुद्ध के धम्म ने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध जो विद्रोह किया वह सफल हुआ और तिपिटक में वर्णित पूर्व–प्रसंगों के परिणामस्वरूप ही 'थेरीगाथा' के उद्गार संग्रहित हुए। विनय–पिटक और उसके भिक्खुनी–स्कंधक में महिलाओं की उपसम्पदा, आठ गुरुधर्म और 311 शीलों का जो प्रबन्ध भिक्खुणियों के लिए पालि साहित्य में किया गया, उसका परिणाम बड़ा ही रोमांचकारी हुआ! सुत्त–पिटक के पाँचवें व अन्तिम 'खुद्दक–निकाय' में भिक्खुणी–संघ की स्थापना का परिणाम परिलक्षित हुआ, उसके नवें ग्रन्थ 'थेरीगाथा' के रूप में।

संदर्भ सूची

1. एवं च किर वो, भिक्खवे मयि होति अनुकम्पको भगवा हितेसी। अनुकम्पं उपादाय धम्मं देसेति। कित्ति–सुत्त, म.नि.
2. चरथ भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। मा एकेन द्वे अगमित्थ। देसेथ, भिक्खवे, धम्मं आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं संव्यजनं केवलं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ। विनयपिटक, महावग्गो, 1.10.32
3. सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पस्सन्तु मा किञ्च दुक्खमागमा। विनयपिटक, महावग्गो, 1. 10.32
4. कामये दुक्खतप्तानां प्राणिनां अतिर्विनसनम्।।
5. भगवान बुद्ध और उनका धर्म, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (हि.अ.), अनु. भदन्त आनन्द कौसल्यायन, पृ.153
6. बौद्ध धर्म का सार, पी. लक्ष्मी नरसु (हि.अ.), अनु. भदन्त आनन्द कौसल्यायन, पृ. 142
7. विनयपिटक (हि.अ.), अनु. राहुल सांकृत्यायन, भिक्षुणी स्कन्धक, पृ. 520
8. वही, पृ. 520
9. भगवान बुद्ध और धर्म, डा. बी.आर. अम्बेडकर, (हि.अनु.), अनु. भदन्त आनन्द कौसल्यायन, पृ. 152
10. विनयपिटक, भिक्क्षुणी स्कंधक (हि.अ.) अनु. राहुल सांकृत्यायन
11. वही, पृ. 521
12. द्वेमे भिक्खवे अन्ता पब्बजितेन न सेवितब्बा, यो चापं कामेसु काम सुखलियकानुंयोगो गम्मो, पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहिता, योचापं अत्रा किलयथानयोगो दुक्खो अनारियो अनत्थ संहितो। धम्मचक्कपवत्तन–सुत्त।
13. वही
14. पालि साहित्य का इतिहास, भिक्षु राहुल सांकृत्यायन, पृ. 154
15. यावं हि वनथो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु।
16. पतिबद्धमनो नु ताव सो वच्छो खीरपको व मातरि।। धम्मपद, मग्गवग्गो, 284